न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 51/2023

उनवान

श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना।

—: प्रार्थी

बनाम

(1) धुला पिता हलिया भील निवासी कुवाड़िया।

(2) पंकज, भवानीशंकर पिता धुला पटेल निवासी कुवाड़िया।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86

निर्णय

दिनांकः 04.9.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना ने पटवार हल्का टिमुरवा के मौजा उपलापाड़ा के खाता संख्या 1 (नया) 1 (पुराना) के सर्वे नम्बर 1398 रकबा 1.07 हे0 किस्म—जंगल भूमि श्रीसरकार दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि में स्थित सिरस (सरेड़ा) के दो हरे वृक्ष, एक कंजड़ी का हरा वृक्ष अप्रार्थीगण धुला पिता हलिया भील निवासी कुवाड़िया तथा पंकज, भवानीशंकर पिता धुला पटेल निवासी कुवाड़िया द्वारा बिना अनुमति के कांट कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलंघन किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना अनुमति के सिरस (सरेड़ा) के दो हरे वृक्ष, एक कंजड़ी का हरा वृक्ष कांटे जाने के क्रम में पटवारी हल्का टिमुरवा एंव भू—अभिलेख निरीक्षक जोलाना द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख/लकड़ी सुपुर्दगीनामा आदि प्रार्थना—पत्र के संलग्न प्रस्तुत कर प्रार्थी को इमदाद दिलाने निवेदन किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण धुला पिता हलिया भील निवासी कुवाड़िया तथा पंकज, भवानीशंकर पिता धुला पटेल निवासी कुवाड़िया के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण के सम्मन तहसीलदार अरथूना द्वारा तामील/अदम तामील प्रस्तुत नही किये जाने पर प्रार्थी तहसीलदार को न्यायालय के पत्रांकः 4886 दिनांक 11.9.2023 द्वारा अप्रार्थीगण के सही पते की रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देशित किया जाने के उपरान्त भी प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना की ओर से आदिनांक तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही हुई।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, पटवारी हल्का एंव भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख की नकल/लकड़ी सुपुर्दगीनामा का अवलोकन किया जाने, पर पाया गया कि अप्रार्थीगण धुला पिता हलिया भील निवासी कुवाड़िया तथा पंकज, भवानीशंकर पिता धुला पटेल निवासी कुवाड़िया द्वारा पटवार हल्का टिमुरवा के मौजा उपलापाड़ा के खाता संख्या 1 (नया) 1 (पुराना) के सर्वे नम्बर 1398 रकबा 1.07 हे0 किस्म—जंगल भूमि में स्थित सिरस (सरेड़ा) के दो हरे वृक्ष, एक कंजड़ी का हरा वृक्ष बिना अनुमति के कांट कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलघंन किया गया है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को श्रीसरकार भूमि में स्थित हरे सिरस (सरेड़ा) के दो वृक्ष, एक कंजड़ी का वृक्ष बिना अनुमति के कांटने के फलस्वरूप 100/— रू0 प्रति पेड़ की दर से 300/— रूपये के दण्ड से दण्डित किया जाता है। तथा प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) अरथूना को आदेशित किया जाता हैं कि जुर्माना राशि की तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करातें हुऐ मौका पर्चा में वर्णित अनुसार लकड़ी की किमत रू0 25,000/— (अक्षरे रूपये पच्चीस हजार) में सम्बन्धित भू—अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी के माध्यम से लकड़ी की निलामी कराई जाकर अन्तिम बोलीदाता को लकड़ी सुपुर्द कराई जाकर (यदि लकड़ी अन्यत्र ले जाई जानी है तो सम्बन्धित बोलीदाता को वन विभाग से नियमानुसार परिवहन की स्वीकृति पृथक से प्राप्त करने निर्देशित किया जाकर) जुर्माना एंव लकड़ी निलामी की राशि राज कोष में जमा करातें हुऐ पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में 15 दिवस में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 04.9.2024 को जारी किया गया।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:30:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

04.9.24

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पृथक से निर्णय जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार, अरथूना को वास्ते पालनार्थ पृथक से भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:30:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner